रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/98

REGD. NO. D. L.-33004/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 229] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 23, 1998/आषाढ़ 2, 1920

No. 229] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 23, 1998/ASADHA 2, 1920

जल भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जून, 1998

सा. का. नि. 354 (अ).— केन्द्र सरकार महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जवाहरलाल नेहरु पत्तन न्यासी मण्डल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में जवाहरलाल नेहरु पत्तन न्यास कर्मचारी (सेवानिवृत्ति) प्रथम संशोधन विनियमावली, 1998 का अनुमोदन करती है ।

2. उक्त विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

अनुसूची

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा-28 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए जवाहरलाल नेहरु पत्तन की न्यासी परिषद ने निम्नलिखित विनियमावली तैयार की है, यथा—

संक्षिप्त नाम और उपयोजन

1. इस विनियमावली का नाम जवाहरलाल नेहरु पत्तन कर्मचारी (सेवानिवृत्ति) प्रथम संशोधन विनियमावली, 1998 होगा। यह विनियमावली भारत के राजपत्र में केंद्रीय सरकार का अनुमोदन प्रकाशित होने के दिन से लागू होगी।

2. विनियम 3 में उपविनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित होगा यथा—

   (1) इस विनियमावली में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, प्रत्येक कर्मचारी साठ वर्ष की आयु पूर्ण होने वाले (अंतिम) महीने के अंतिम दिन दोपहर बाद सेवा निवृत्त होगा।

   परन्तु यह तब जब कि किसी कर्मचारी की साठ वर्ष की सेवा निवृत्ति आयु होने के बाद उसकी सेवा नहीं बढ़ाई जाएगी ।

3. विनियम 3 के उप-विनियम (4) के नीचे की टिप्पणी में—

(1) खण्ड 3 निकाल दिया जाएगा।

(2) खण्ड 4 में "अट्ठावन" शब्द के स्थान पर "साठ" शब्द प्रतिस्थापित होगा।

(3) खण्ड 6 निकाल दिया जाएगा।

(4) परिशिष्ट -1 और 2 छोड़ दिये जाएंगे।

[सं. पी. आर. 12016/20/98-पी. ई-I]

के. वी. राव, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी:— प्रधान विनियमावली सा. का. नि. सं. 550(ई) के अंतर्गत भारत के असाधारण राजपत्र में दि. 17 जुलाई, 1995 को प्रकाशित हुई थी।

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd June, 1998

G.S.R. 354 (E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 124 read with sub-section (1) of Section 132 of the Major Port Trusts Act 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Jawaharlal Nehru Port Trust Employees (Retirement) First Amendment Regulations, 1998 made by the Board of Trustees for the Port of Jawaharlal Nehru as set out in the Schedule annexed to the notification.

2. The said Amendment shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

SCHEDULE

In exercise of the powers conferred under Section 28 of the Major Port Trusts Act 1963 (38 of 1963), the Board of Trustees of the Jawaharlal Nehru Port hereby makes the following regulations, namely:—

Short Title and Application:

1. These regulations shall be called the Jawaharlal Nehru Port Employees (Retirement) First Amendment Regulations, 1998. They shall be applicable from the date approval of the Central Government is published in the Gazette of India.

2. In regulation 3, for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely:—

"(1) Except as otherwise provided in these regulations, every employee shall retire from service on the afternoon of the last day of the month in which he attains the age of sixty years.

Provided that no employee shall be given an extension of service beyond the age of retirement of sixty years."

3. In the note under sub-regulation 4 of regulation 3

(i) Clause 3 shall be omitted.
(ii) In clause 4 the words "fifty eight" shall be substituted by the words "sixty".
(iii) Clause 6 shall be omitted.

4. Appendix-1 & 2 shall be omitted.

[No. PR-12016/20/98-PE-I]

K.V. RAO, Jt. Secy.

FOOT NOTE :—The principal regulations were published vide GSR No. 550 (E) published in the Gazette of India Extraordinary dated 17th July, 1995.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1998